



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या -13 राँची, बुधवार 27 श्रावण, 1943 (श०)
18 अगस्त, 2021 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	159—162
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	
भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम	
भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।	
भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।	
भाग-8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	
भाग-9 — विज्ञापन	---
भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	
भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।	
पूरक--	...
पूरक "अ"	...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 जुलाई, 2021

सं०सं०-14/ए०-015/2020-2592--श्री वेदानन्द झा, तत्कालीन थाना प्रभारी, राजनगर, सरायकेला-खरसाँवा, सम्प्रति सेवा निवृत्त पुलिस उपाधीक्षक के विरुद्ध बालू उठाव के एवज में घूस की मांग किये जाने संबंधित आरोप के लिए माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड के समक्ष परिवाद संख्या-01/लोक (पुलिस) 07/2018 दायर किया गया, जिसमें श्री झा के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाते हुये विधि सम्मत कार्रवाई की अनुशंसा की गई ।

श्री झा के विरुद्ध आरोप प्रमाणित है और उनके द्वारा स्वयं भी आरोपों को स्वीकार किया गया है एवं अपने स्पष्टीकरण में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड एवं पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री झा की सेवा पूर्णतः संतोषजनक नहीं पाया गया ।

अतः माननीय लोकायुक्त द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में पेंशन नियमावली के नियम-139 (बी०) के तहत श्री वेदानन्द झा, तत्कालीन पु०नि०, सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक (सेवानिवृत्त) की सेवा असंतोषजनक पाते हुए उनके मूल पेंशन से 02 (दो) वर्षों के लिए 03% (तीन प्रतिशत) राशि की कटौती का आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से संसूचित किया जाता है ।

उक्त आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूनम प्रभा पूर्ति,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

13 जुलाई, 2021

संख्या 13/पी₁-8002/2013(खण्ड)-20/प्र०स०को०--विभागीय अधिसूचना सं०-795, दिनांक-11.02.2021 द्वारा श्री नीरज सिन्हा, भा०पु०से० (1987) को अगले आदेश तक महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया गया है ।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा W.P. (Civil) No.- 310/1996, (प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक-22.09.2006 तथा I.A No.-25307/2018 में पारित आदेश दिनांक-03.07.2018 के अनुसरण में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित इम्पैनेलमेंट समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त श्री नीरज सिन्हा, भा०पु०से० (1987) को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक-12.02.2021 से दो वर्ष का कार्यकाल अर्थात् दिनांक-11.02.2023 तक अथवा आगामी आदेश पर्यन्त, जो पहले हो, तक अनुमान्य किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना
28 जून, 2021

सं०सं०-03/नि०सं०-09-03/2020का.2814--श्री जयवर्द्धन कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-71/20), अनुमण्डल पदाधिकारी, श्री बंशीधर नगर (गढ़वा) को दिनांक 24.12.2019 से दिनांक 05.02.2020 तक (कुल 44 दिन) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना
28 जून, 2021

संख्या-4/नि०सं०-12-41/2017-13437 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री मोदस्सर नजर मंसूरी, पंचम बैच (गृह जिला- राँची) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है:-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	MODASAR NAZAR MANSURI- (110037710595)	DC OFFICE DHANBAD	NIRSA CIRCLE DHANBAD CIRCLE OFFICER	15/06/2016	16/06/2018

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3017